

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज बनाम..... मु.नं. 106/22 (दौसा)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	<p><u>२१.३.२५</u> पत्रादली पेशा हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रादली वाले साक्ष्य वादी दिनांक २५.५.२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रु</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
	<p><u>२५.५.२५</u> पत्रादली पेशा हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी ने साक्ष्य पेश नहीं किया। साक्ष्य शकियार्थ रूप से पेश हो। पत्रादली वाले साक्ष्य वादी दिनांक २७.५.२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रु</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
	<p><u>२७.५.२५</u> पत्रादली पेशा हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी ने साक्ष्य पेश नहीं किया। साक्ष्य शकियार्थ रूप से पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रादली वाले साक्ष्य वादी दिनांक २५.६.२५ को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">रु</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</p>	
	<p><u>२५.६.२५</u> पत्रादली पेशा हुई। वकील व पडाउशम को फर-२ आवाज दिलवाई गई। कोई उपस्थित नहीं हुए। पत्रादली लम्बे समय से साक्ष्य वादी में लंबित है। वादी को फर-२ निर्देशों के बावजूद भी वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं किया जा रहा है। और निर्देशों को कठोरता से जा रही है। इससे</p>	

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा**

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील में जारी हुए

तारीख हुकम

वकील

बनाम

मु.नं.

106/21

मूल्य

(६२७)

स्पष्ट है कि वादी पत्रावली में कोई भी अर्पणादी के लिए इच्छुक नहीं है। इसलिए पत्रावली वादी की अदम्य एजरी व अहम वकील में खारिज की जाती है। पत्रावली फौजल शुभाद होकर दाखिला दफ्तर हो

**उपखण्ड अधिकारी  
मण्डावर (दौसा)**